राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

स्वायत्त शासन भवन जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक, जयपुर
E-mail : caodlb@gmail.com Phone 0141 – 2223074

क्रमांक : प.6(च)(451)स्वी/लेखा/डीएलबी/2020/ 1533-1745 दिनांक : 21/06/2022

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त राजस्थान।

विषय : राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसरण में संक्षिप्त (Abridged) बोली आमन्त्रण सूचना के प्रकाशन बाबत।

प्रसंग : वित्त (जीएण्डटी) विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या : एफ.7(5)वित्त/एसपीएफसी/2013 दिनांक 12 मई 2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि उपापन संस्थाओं द्वारा भविष्य में किये जाने वाले उपापनों के सन्दर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली बोली आमन्त्रण सूचना के प्रारुप को आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के नियम 43 के प्रावधानों के अनुरुप संक्षिप्त (Abridged) रखा जाना सुनिश्चित करावें। इस सम्बन्ध में मानकीकृत प्रारुप (Template) की प्रति संलग्न है।

अतः प्रकरण में वित्त (जीएण्डटी) विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या : एफ. 7(5)वित्त/ एसपीएफसी/2013 दिनांक 12 मई 2022 तथा मानकीकृत प्रारुप (Template) की प्रति संलग्न प्रेषित करते हुए समस्त को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

(हृदेश कुमार शर्मा)(IAS)
निदेशक व संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : प.6(च)(451)स्वी/लेखा/डीएलबी/2020/ 1746-1756 दिनांक : 21/06/202

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त(बजट)/स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) कार्यालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
03. उप निदेशक (एसीपी) निदेशालय को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
04. रक्षित पत्रावली।

(महेन्द्र मोहन)
वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्र0: एफ 7(5)वित्त/एसपीएफसी/2013

जयपुर दिनांक - 12 MAY 2022

परिपत्र

विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसरण में संक्षिप्त (Abridged) बोली आमंत्रण सूचना के प्रकाशन बाबत्।

उपापन संस्थाओं द्वारा किये जा रहे उपापनों के सन्दर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना संक्षिप्त रखे जाने हेतु इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25.06.2020 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे। साथ ही इस संबंध में बोली आमंत्रण सूचना का एक मानकीकृत प्रारूप (Template) भी उपलब्ध कराया गया था।

RTPP नियम, 2013 के अन्तर्गत बोली आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के सदर्भ में निम्नानुसार प्रावधान किये गये है:–

*43. **बोली आमंत्रित करने वाली सूचनाः–** (1) उपापन संस्थान खुली प्रतियोगी बोली और द्वि प्रक्रमी बोली में बोलियों की, या जहां लागू हो, पूर्व–अर्हता के लिए आवेदन की अभ्यर्थना बोली या, यथास्थिति, पूर्व–अर्हता के आमंत्रण का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल और उसकी स्वयं की शासकीय वेबसाइट, यदि उपलब्ध हो, पर करके करेगी। इस नियम के उप–नियम (6) और (7) में यथा–विहित पर्याप्त परिचालन वाले समाचार पत्रों में **एक संक्षिप्त नोटिस** भी प्रकाशित किया जायेगा।*

*(5) समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला बोली आमंत्रित करने वाला नोटिस **संक्षिप्त** होना चाहिए। उपापन की एक से अधिक विषय–वस्तु के लिए बोली यथा–संभव एक नोटिस में प्रकाशित की जायेगी।*

परन्तु व्यवहार में देखा गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है। जोकि अत्यधिक खेद का विषय है एवं राज्य सरकार द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है। समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किये जाने वाले उपापनों के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना के प्रारूप को आर.टी.पी.पी. नियम, 2013 के नियम 43 के प्रावधानों के अनुरूप संक्षिप्त (Abridged) रखा जाना सुनिश्चित करावें। इस बाबत् मानकीकृत प्रारूप (Template) की प्रति संलग्न है।

उक्त निदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

PA
Issue
Pl. direction Accordingly
14/6/22
FA

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

Template

.... (Name of Procuring Entity)

Date.

File No. ....

Notice Inviting Bid

Bids for .... (Name(s) of subject matter(s) of Procurement) are invited from interested bidders upto .... (time) .... (date). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state; and .... departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. ....

UBN ....

(Designation of Bid Inviting Offcer)

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांक : एफ.7(5)वित्त/एसपीएफसी/सामान्य/2013 दिनांक 25.6.2020

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा उनके द्वारा किये जा रहे उपापनों के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना का आकार अनावश्यक रूप से काफी विस्तृत एवं बड़ा होता है जबकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43 के अन्तर्गत संक्षिप्त नोटिस के प्रकाशन का उल्लेख किया गया है, जो निम्नानुसार हैः–

43. बोली आमंत्रित करने वाली सूचना.– (1) उपापन संस्था खुली प्रतियोगी बोली और द्वि प्रक्रमी बोली में बोलियों की, या जहां लागू हो, पूर्व–अर्हता के लिए आवेदन की अभ्यर्थना बोली या, यथास्थिति, पूर्व–अर्हता के आमंत्रण का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल और उसकी स्वयं की शासकीय वेबसाइट, यदि उपलब्ध हो, पर करके करेगी। इस नियम के उप–नियम (6) और (7) में यथा–विहित पर्याप्त परिचालन वाले समाचार पत्रों में एक संक्षिप्त नोटिस भी प्रकाशित किया जायेगा।

(5) समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला बोली आमंत्रित करने वाला नोटिस संक्षिप्त होना चाहिए। उपापन की एक से अधिक विषय–वस्तु के लिए बोली यथा–संभव एक नोटिस में प्रकाशित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार उपापन संस्था के स्तर पर बोली आमंत्रण सूचना के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त नोटिस के प्रकाशन के बाबत् प्रावधान सुस्पष्ट रूप से निर्धारित है। परन्तु अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना नहीं की जा रही है।

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किये जाने वाले उपापनों के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना का प्रारूप आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 43 के प्रावधानों के अनुसार संक्षिप्त (Abridged) रखें। इस हेतु Templateकी प्रति संलग्न है।

उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

25/06/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

E:\Letter 2020.docx